माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट भोपाल

प्रकरण क्रमांक /2015

1. राजाराम आ0 रामचरण
2. राधेश्याम आ0 रामचरण
3. बनपसिंह आ0 रामचरण
4. कमलसिंह आ0 रामचरण
5. घनश्याम आ0 भागीरथ
6. राकेश आ0 भागीरथ
7. सुनील आ0 भागीरथ

समस्त जाति खाती निवासीगण ग्राम कालापीपल जागीर तहसील इछावर जिला सीहोर ..... **निगरानीकर्तागण**

विरूद्ध

1. नन्दकिशोर आ0 श्री जालमसिंह
2. नन्नूलाल आ0 जालमसिंह
3. बंशीलाल आ0 जालमसिंह
4. लक्ष्मणसिंह आ0 जालमसिंह
5. जगन्नाथ आ0 पृथ्वीसिंह
6. लाड़सिंह आ0 पृथ्वीसिंह
7. अनोखीलाल आ0 पृथ्वीसिंह
8. राजाराम आ0 पृथ्वीसिंह
9. इमरतलाल आ0 दिलीपसिंह
10. मुकेश आ0 दिलीपसिंह
12. महेन्द्रसिंह आ0 जगन्नाथसिंह

समस्त जाति खाती निवासीगण ग्राम कालापीपल जागीर तहसील इछावर जिला सीहोर ..... **प्रतिनिगरानीकर्तागण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 तहसीलदार महोदय इछावर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 5/अ-13/2014-15 के आदेश दिनांक 05/08/2015 के विरूद्ध

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता गण कि और से यह निगरानी निम्नलिखित तथ्यो एवं विधि आधारो पर प्रस्तुत है कि :-

"तथ्य"

01. यह कि प्रतिनिगरानीकर्तागण ने एक आवेदन पत्र धारा 131 के अन्तर्गत तहसीलदार महोदय इछावर के न्यायालय मे दिनांक 08/06/2015 को विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमे निगरानीकर्तागण द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ती दिनांक 30/06/2015 को विधि के ठोस बिन्दुओ पर इस आधार पर प्रस्तुत कि है कि आवेदन पत्र संयुक्त रूप से प्रसतुत किया गया है एवं आवेदन पत्र के साथ नक्शा प्रस्तुत नही किया गया है एवं निगरानीकर्तागण ने किस भूमि खसरा नं. मे रस्ता रोका है यह विवरण प्रतिनिगरानीकर्तागण ने नही दिया है प्रतिनिगरानीकर्तागण ने प्रारंभिक आपत्ती का जवाब नही दिया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/06/2015 को ही तर्कश्रवण कर प्रकरण प्रारंभिक आपत्ती पर आदेश हेतु

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3456/II/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	मैंने प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा नस्ती के अभिलेख का परिशीलन किया। तर्क मे कहा गया कि गैरनिगराकार पक्ष ने धारा 131, MPLRC के अधीन आवेदन लगाया था, जिसपर निगराकार पक्ष ने अपना आपत्ती आवेदन लगाया, जिसे तहसीलदार ने बिना आधार दर्शाए अस्वीकार कर दिया है। तहसीलदार इछावर के आक्षेपित आदेश दि 5-8-15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार ने निगराकार के आपत्ती आवेदन का कोई आधार एवं कारण दर्शाए मूक स्वरूप के आदेश से निराकरण किया है, जो उचित नहीं है। अतः मैं तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दि 5-8-15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ, एवं उन्हे यह निर्देश देता हूँ कि वे निगराकार के आपत्ती आवेदन पर दोनो पक्षो के दृष्टिकोणों से भिज्ञ होकर, आधार एवं कारण दर्शाते हुए, बोलते	

[कृ. प. उ.

R.3456/11/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषका आदि के हस्ताक्षर
	स्वरूप के आदेश के माध्यम से उसका निराकरण करे। इसी के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है। पक्षकारगण एवं तहसीलदार द्वारा सूचित हो। प्रकरण दा.द. हो। (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.